न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/22/2024	2024/55	22.07.2024	06.08.2024

1.लुड्डीदेवी पत्नी श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ग्राम ठण्डाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1.तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 31.07.2017 नामान्तकरण बय संख्या 165 ग्राम ठण्डाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया गया। बमुराद मंसूखी उक्त आज्ञा एवं स्वीकार किए जाने अपील अपीलाण्ट व दीगर दादरसी।

उपस्थितः–

01.श्री अमरचंद चौधरी —वकील अपीलाण्ट

02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेंट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 31.07.2017 नामान्तकरण बय संख्या 165 ग्राम ठण्डाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आलोच्य आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 31.07.2017 नामान्तकरण बय संख्या 165 ग्राम ठण्डाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के खिलाफ यह प्रथम राजस्व अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। मिन अपीलान्ट को पूर्व में उक्त आलोच्य आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 31–07–2017 नामान्तकरण बय संख्या 165 ग्राम ठण्डाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की कोई जानकारी नही थी। क्योंकि मिन अपीलान्ट अनपढ ग्रामीण काश्तकार पेशा हैं,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

तथा उक्त आलोच्य आज्ञा रैस्पाडेन्ट द्वारा मिन अपीलान्ट की गैरहाजरी व गैरमौजूदगी में बिना कोई नोटिस जारी कियें, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये पारित की गई। इसलिए अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी। जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही हैं। उक्त आलोच्य आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 03–07–2024 को हुई, जब मिन अपीलान्ट ने स्वयं की खरीदशुदा आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, तो पटवारी हल्का ने मौखिक रूप से उक्त आलोच्य आज्ञा की जानकारी की। जिस पर मिन अपीलान्ट ने उक्त आलोच्य आज्ञा की नकल के लिए दिनांक 03–07–2024 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 03–07–2024 को तैयार होकर दिनांक 03–07–2024 को प्राप्त हुई। दिनांक 04–07–2024 को मिन अपीलान्ट ने अलवर राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब न्यायालय श्रीमान में अपील पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 05–07–2024 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्च का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 03–07–2024 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा दिनांक 31–07–2017 से सर्वप्रथम जानकारी की दिंनाक 03–07–2024 व आज तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य हैं। जहां आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गई हों. वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नहीं हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 03–07–2024 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

आलोच्य आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 31–07–2017 नामान्तकरण बय संख्या 165 ग्राम ठण्डाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की छाया प्रति प्रमाणित एंव पंजीकृत बयनामा दिनांक 27–07–2017 की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 31–07–2017 नामान्तकरण बय संख्या 165 ग्राम ठण्डाबास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान न्यायिक विधि एवं तथ्यो एवं मौके व कब्जे व राजस्व रिकार्ड व पंजीकृत्त विक्रयपत्र के खिलाफ हैं। इसलिए निरस्तनीय हैं। निरस्त फरमायी जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। यह कि आराजी खसरा नंबर हाल 722/449 रकबा 0.17 बीघा बारानी में से 1/2 हिस्सा स्थित ग्राम ठण्डाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान का अभिलिखित खातेदार काश्तकार दौजी पुत्र श्री हरसाय जाति जाट निवासी ग्राम कॉटवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान था। जिसने अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी व अन्य आराजी के समस्त अधिकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मिन अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 27–07–2017 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 434 पृष्ठ संख्या 56 क्रम संख्या 1256 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 760 पृष्ठ संख्या 124 से 128 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान विक्रय कर दियें, और प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर वास्तविक / भौतिक रूप से कब्जा करा दिया। तथा उक्त बयनामा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के अनुसार मिन अपीलान्ट के हक में तहरीर व तकमील कराकर उप पंजीयक लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के समक्ष पंजीबद्ध करा दिया। जिस आराजी पर मिन अपीलान्ट बरोज खरीद से आज तक काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं, तथा वर्तमान में मौके पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक/भौतिक कब्जा हैं। जिस उक्त बयनामा के आधार पर इंतकाल बय अपने हक में दर्ज व तस्दीक कराने के लिए मिन अपीलान्ट ने उक्त बयनामा की प्रति पटवारी हल्का को दे दी। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन आलोच्य इंतकाल संख्या 165 दिनांक 28–07–2017 को भरकर भू. अ. निरीक्षक के समक्ष पेश किया, जिसका दिनांक 30–07–2017 को मिलान किया गया, तथा तस्दीक हेतु रैस्पाडैन्ट श्रीमान तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान के समक्ष पेश किया गया। जिस इंतकाल को रैस्पाडैण्ट ने आलोच्य आज्ञा दिनांक 31–07–2017 द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व बयनामा व राजस्व रिकार्ड के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुयें, स्वीकार किया गया हैं। जिस आज्ञा नामांतकरण से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा नामांतकरण उक्त आराजी की सीमा तक निरस्त होने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

मिन अपीलान्ट ने उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर हाल 722/449 रकबा 0.17 बीघा बारानी में से 1/2 हिस्सा उक्त अभिलिखित खातेदार काश्तकार दौजी से विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के अनुसार उक्त पंजीकृत बयनामा के जरिये खरीद की गई हैं। इसलिए कानूनन उक्त पंजीकृत बयनामा के आधार पर रैस्पाडैन्ट को अपीलाधीन इंतकाल मिन अपीलान्ट के हक में 1/2 हिस्सा का स्वीकार करना चाहिये था। और उक्त पंजीकृत बयनामा के आधार पर उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा का इंतकाल तस्दीक करने में कोई बाधा नही हैं। लेकिन आलोच्य आज्ञा में मिन अपीलान्ट के 1/2 हिस्से की बजाय उक्त विक्रेता दौजी का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/8 हिस्सा का इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया हैं, तथा 1/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 1/8 हिस्सा उक्त विक्रेता के नाम ही राजस्व रिकार्ड में छोड दिया गया हैं। जो उक्त पंजीकृत बयनामा के अंकन के विपरित दर्ज व स्वीकार किया गया हैं। इसलिए उक्त पंजिकृत बयनामा से भी सावित हैं, कि अपीलाधीन आज्ञा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व राजस्व रिकार्ड व बयनामा के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित की गई हैं। जो आलोच्य आज्ञा विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। तथा उक्त पंजीकृत बयनामा के आधार पर मिन अपीलान्ट के हक में उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा का इंतकाल बय दर्ज व तस्दीक किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। रैस्पाडैन्ट ने आलोच्य इंतकाल दर्ज करते समय उक्त विक्रेता दौजी पुत्र हरसाय का 1/4 हिस्सा दर्ज करते हुए, 1/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 1/8 हिस्सा का इंतकाल मिन अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

के हक में दर्ज व स्वीकार किया गया हैं, जो गलत हैं। क्योंकि वक्त खरीद उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 772/449 रकबा 17 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का उक्त विक्रेता दौजी खातेदार काश्तकार था, और उसने मिन अपीलान्ट को 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण ही बेचान कर दिया, तो इंतकाल बय मिन अपीलान्ट के हक में 1/2 हिस्सा का ही दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था। इसलिए आलोच्य इंतकाल जो उक्त विक्रेता को 1/4 हिस्से का खातेदार मानकर मिन अपीलान्ट के हक में 1/8 हिस्सा का दर्ज किया हैं, वह गलत हैं। इसलिए निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

रैस्पाडैन्ट ने आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व ना तो मौका देखा, ना मौके की कोई रिपोर्ट किसी सक्षम अधिकारी/कर्मचारी राजस्व से तलब की गई। ना ही आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व मिन अपीलाण्ट जो कि पीडित व हितबद्ध पक्षकार हैं, को तलब किया गया, ना उसको कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा नामांतकरण मनमाना तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ व पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। रैस्पाडैन्ट ने अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों व उक्त पंजीकृत बयनामा के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित की है। इसलिए निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर आलोच्य आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 31–07–2017 नामान्तकरण बय संख्या 165 ग्राम ठण्डाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायी जाकर उक्त पंजीकृत बयनामा दिनांक 27–07–2017 के आधार पर विवादित आराजी खसरा नंबर 772/449 रकबा 17 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का इंतकाल बय दर्ज व तस्दीक करने के लिए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावें। व अन्य उचित आज्ञा जो न्यायसंगत हों, बहक अपीलान्ट विरूद्ध रैस्पाडैन्ट सादिर फरमायी जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे बहस करना चाहते हैं।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील अपीलांट ने दौराने बहस ये तथ्य और रिकॉर्ड का अवलोकन कराया कि जो नामांतरण जारी किया है वो विक्रय पत्र के आधार पर जारी नहीं किया गया है। वकील अपीलांट द्वारा विक्रय पत्र के आधार नामांतरण जारी करने का निवेदन किया है। बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया गया। विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण जारी किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। नामांतरण जारी करने में त्रुटि पाई जाती है। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा स्वीकृत/पारित इंतकाल संख्या 165 निर्णय दिनांक 31.07.2017 वाके ग्राम ठण्डावास तहसील लक्ष्मणगढ को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पत्रावली इस आशय के साथ प्रति प्रेपित की जाती है कि कार्यालय में प्रकरण दर्ज करें एवं विक्रय पत्र की सम्पूर्ण जांच कर, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 45 दिवस में विस्तृत निर्णय पारित कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन